

**पूर्व मध्य रेल
अधिसूचना**

संख्या : सी/407/बैगनी

दिनांक : 14.08.2025

कृते भारत के राष्ट्रपति की ओर से समस्तीपुर मंडल के निम्नलिखित हॉल्ट स्टेशनों के लिये रेल प्रशासन के द्वारा निर्धारित कमीशन दर पर टिकट बेचने के लिये, पाँच वर्षों के लिये हॉल्ट अभिकर्ता के रूप में चयन हेतु विहित प्रपत्र पर दिनांक 08.09.2025 (17.00 बजे) तक आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं, जो मंडल रेल प्रबंधक (वा0), पूर्व मध्य रेल/समस्तीपुर, कार्यालय के प्राप्ति अनुभाग में उक्त तिथि तक साधारण डाक/पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट/कोरियर या हाथो-हाथ द्वारा प्राप्त हो जाना चाहिए।

क्र०	हॉल्ट स्टेशन का नाम	नियंत्रक स्टेशन	स्टेशनों के मध्य
01	बैगनी	सकरी	माँ जगदम्बा नवादा – जगदीशपुर

बैगनी हॉल्ट अभिकर्ता के रूप में चयन किये गये उम्मीदवार को रुपये 2000/- जमानती राशि के रूप में जमा करना होगा। उन्हें उपरोक्त हॉल्ट स्टेशन पर टिकटों की आपूर्ति हेतु अपने नियंत्रक स्टेशन से नगद भुगतान कर टिकट प्राप्त करना होगा। रेल प्रशासन द्वारा तय किये गये दर से उन्हें कमीशन दी जायेगी। कमीशन की दर का निर्धारण रेल प्रशासन के विवेक के अनुसार समय-समय पर किया जा सकता है। हॉल्ट की साफ-सफाई अभिकर्ता को अपने खर्च पर स्वयं करना होगा। यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है, कि एक से अधिक आवेदक होने पर योग्य आवेदकों में से किसी एक का चयन लॉटरी पद्धति से किया जायेगा।

उम्मीदवार की पात्रता की शर्तें इस प्रकार हैं—

- आवेदक को उसी जिला का स्थायी निवासी होना चाहिए, जिस जिला में हॉल्ट स्टेशन अवस्थित है। इसके लिये नवीनतम **आवासीय प्रमाण पत्र (डीएम/एडीएम)** द्वारा जारी या **आधार कार्ड/वोटर आईकार्ड प्रमाण पत्र** संलग्न करना होगा।
- आवेदक की शैक्षणिक योग्यता कम से कम दसवीं (मैट्रिक) कक्षा पास होनी चाहिए और अंग्रेजी की भी जानकारी होनी चाहिए यथा स्टेशनों का नाम, टिकटों पर छपे किराया एवं साधारण रूप से अंग्रेजी में लिखना तथा पढ़ना आता हो। इसके लिए शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
- आवेदक की उम्र दिनांक **08.09.2025** को **18** वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। आवेदक को अपने आवेदन के साथ जन्म तिथि से संबंधित प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा (जैसे-शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा जारी प्रमाण पत्र इत्यादि)।
- आवेदक को अपने चरित्र के संबंध में आवेदन के साथ डीएम/ एडीएम/ एसडीएम/एसपी/सीओ/बीडीओ द्वारा जारी नवीनतम आचरण प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा (जो दिनांक 08.09.2025 को 06 माह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए)।
- आवेदक को अपने वित्तीय स्थिति के संबंध में जिला पदाधिकारी/अनुमंडल पदाधिकारी/अंचलाधिकारी/प्रखण्ड विकास पदाधिकारी द्वारा जारी नवीनतम आय प्रमाण पत्र जमा करना होगा (जो दिनांक 08.09.2025 को 01 वर्ष से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए)।
- आवेदक को नवीनतम स्वास्थ्य प्रमाण पत्र (रजि० एम.बी.बी.एस. डा० के द्वारा जारी) संलग्न करना होगा जिसमें कार्य करने के योग्य (फिट) बताया गया हो तथा छूआ-छूत की बीमारी नहीं होनी चाहिये। यह प्रमाण पत्र किसी पंजीकृत चिकित्सक द्वारा जारी होना चाहिये, जिसमें चिकित्सक का पंजीकरण संख्या अंकित हो।

मंडल रेल प्रबंधक (वा0)
समस्तीपुर

आवेदन पत्र का प्रारूप

हस्ताक्षर युक्त
पासपोर्ट साइज का
नवीनतम फोटो
चिपकावें।

- 01 हाल्ट का नाम:.....
- 02 आवेदक का पूरा नाम:.....
- 03 पिता/पति का नाम:.....
- 04 स्थायी पता (नवीनतम आवासीय प्रमाण पत्र संलग्न करें).....
- 05 जन्म तिथि (प्रमाण पत्र संलग्न करें).....
- 06 शैक्षणिक योग्यता:(प्रमाण पत्र संलग्न करें).....
- 07 वार्षिक आय: (नवीनतम आय प्रमाण पत्र संलग्न करें).....
- 08 आचरण प्रमाण पत्र:(नवीनतम आचरण प्रमाण पत्र संलग्न करें).....
- 09 स्वास्थ्य प्रमाण पत्र:(नवीनतम स्वास्थ्य प्रमाण पत्र संलग्न करें).....
10. पैन नं०:- (यदि कोई हो).....
11. जीएसटी नं० (यदि कोई हो).....

नोट:-

- 01 अपूर्ण अथवा बिना स्वअभिप्रमाणित प्रमाण पत्र के प्राप्त आवेदन अथवा निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।
- 02 आवेदन मानक प्रारूप पर ही दियें जाए।
- 03 आवेदक जिस हाल्ट के लिए आवेदन करना चाहते हैं उस का नाम एवं पूर्ण पता आवेदन करने के समय लिफाफा के उपर साफ-साफ अक्षरों में अंकित करना होगा।

दिनांक:-

आवेदक का हस्ताक्षर एवं
पूरा पता, पिन नं० तथा मोबाईल सहित

**पूर्व मध्य रेल
अधिसूचना**

संख्या : सी/407/बैगनी

दिनांक : 14.08.2025

कृते भारत के राष्ट्रपति की ओर से समस्तीपुर मंडल के निम्नलिखित हॉल्ट स्टेशनों के लिये रेल प्रशासन के द्वारा निर्धारित कमीशन दर पर टिकट बेचने के लिये, पाँच वर्षों के लिये हॉल्ट अभिकर्ता के रूप में चयन हेतु विहित प्रपत्र पर दिनांक 08.09.2025 (17.00 बजे) तक आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं, जो मंडल रेल प्रबंधक (वा0), पूर्व मध्य रेल/समस्तीपुर, कार्यालय के प्राप्ति अनुभाग में उक्त तिथि तक साधारण डाक/पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट/कोरियर या हाथो-हाथ द्वारा प्राप्त हो जाना चाहिए।

क्र०	हॉल्ट स्टेशन का नाम	नियंत्रक स्टेशन	स्टेशनों के मध्य
01	बैगनी	सकरी	माँ जगदम्बा नवादा – जगदीशपुर

बैगनी हॉल्ट अभिकर्ता के रूप में चयन किये गये उम्मीदवार को रुपये 2000/- जमानती राशि के रूप में जमा करना होगा। उन्हें उपरोक्त हॉल्ट स्टेशन पर टिकटों की आपूर्ति हेतु अपने नियंत्रक स्टेशन से नगद भुगतान कर टिकट प्राप्त करना होगा। रेल प्रशासन द्वारा तय किये गये दर से उन्हें कमीशन दी जायेगी। कमीशन की दर का निर्धारण रेल प्रशासन के विवेक के अनुसार समय-समय पर किया जा सकता है। हॉल्ट की साफ-सफाई अभिकर्ता को अपने खर्च पर स्वयं करना होगा। यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है, कि एक से अधिक आवेदक होने पर योग्य आवेदकों में से किसी एक का चयन लॉटरी पद्धति से किया जायेगा।

उम्मीदवार की पात्रता की शर्तें इस प्रकार हैं—

- आवेदक को उसी जिला का स्थायी निवासी होना चाहिए, जिस जिला में हॉल्ट स्टेशन अवस्थित है। इसके लिये नवीनतम **आवासीय प्रमाण पत्र (डीएम/एडीएम)** द्वारा जारी या **आधार कार्ड/वोटर आईकार्ड प्रमाण पत्र** संलग्न करना होगा।
- आवेदक की शैक्षणिक योग्यता कम से कम दसवीं (मैट्रिक) कक्षा पास होनी चाहिए और अंग्रेजी की भी जानकारी होनी चाहिए यथा स्टेशनों का नाम, टिकटों पर छपे किराया एवं साधारण रूप से अंग्रेजी में लिखना तथा पढ़ना आता हो। इसके लिए शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
- आवेदक की उम्र दिनांक **08.09.2025** को **18** वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। आवेदक को अपने आवेदन के साथ जन्म तिथि से संबंधित प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा (जैसे-शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा जारी प्रमाण पत्र इत्यादि)।
- आवेदक को अपने चरित्र के संबंध में आवेदन के साथ डीएम/ एडीएम/ एसडीएम/एसपी/सीओ/बीडीओ द्वारा जारी नवीनतम आचरण प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा (जो दिनांक 08.09.2025 को 06 माह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए)।
- आवेदक को अपने वित्तीय स्थिति के संबंध में जिला पदाधिकारी/अनुमंडल पदाधिकारी/अंचलाधिकारी/प्रखण्ड विकास पदाधिकारी द्वारा जारी नवीनतम आय प्रमाण पत्र जमा करना होगा (जो दिनांक 08.09.2025 को 01 वर्ष से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए)।
- आवेदक को नवीनतम स्वास्थ्य प्रमाण पत्र (रजि० एम.बी.बी.एस. डा० के द्वारा जारी) संलग्न करना होगा जिसमें कार्य करने के योग्य (फिट) बताया गया हो तथा छूआ-छूत की बीमारी नहीं होनी चाहिये। यह प्रमाण पत्र किसी पंजीकृत चिकित्सक द्वारा जारी होना चाहिये, जिसमें चिकित्सक का पंजीकरण संख्या अंकित हो।

मंडल रेल प्रबंधक (वा0)
समस्तीपुर

आवेदन पत्र का प्रारूप

हस्ताक्षर युक्त
पासपोर्ट साइज का
नवीनतम फोटो
चिपकावें।

- 01 हाल्ट का नाम:.....
- 02 आवेदक का पूरा नाम:.....
- 03 पिता/पति का नाम:.....
- 04 स्थायी पता (नवीनतम आवासीय प्रमाण पत्र संलग्न करें).....
- 05 जन्म तिथि (प्रमाण पत्र संलग्न करें).....
- 06 शैक्षणिक योग्यता:(प्रमाण पत्र संलग्न करें).....
- 07 वार्षिक आय: (नवीनतम आय प्रमाण पत्र संलग्न करें).....
- 08 आचरण प्रमाण पत्र:(नवीनतम आचरण प्रमाण पत्र संलग्न करें).....
- 09 स्वास्थ्य प्रमाण पत्र:(नवीनतम स्वास्थ्य प्रमाण पत्र संलग्न करें).....
10. पैन नं०:- (यदि कोई हो).....
11. जीएसटी नं० (यदि कोई हो).....

नोट:-

- 01 अपूर्ण अथवा बिना स्वअभिप्रमाणित प्रमाण पत्र के प्राप्त आवेदन अथवा निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।
- 02 आवेदन मानक प्रारूप पर ही दियें जाए।
- 03 आवेदक जिस हाल्ट के लिए आवेदन करना चाहते हैं उस का नाम एवं पूर्ण पता आवेदन करने के समय लिफाफा के उपर साफ-साफ अक्षरों में अंकित करना होगा।

दिनांक:-

आवेदक का हस्ताक्षर एवं
पूरा पता, पिन नं० तथा मोबाईल सहित